रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112020-223046
CG-DL-E-11112020-223046

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3561] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2020/कार्तिक 20, 1942
No. 3561] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2020/KARTIKA 20, 1942

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2020

का.आ. 4044(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के उपरान्त, ऐसा करना जनहित में आवश्यक और व्यावहारिक मानकर एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभनः- (1) यह आदेश विद्युतीय उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 कहा जाएगा।

(2) यह इस आदेश की तालिका के कॉलम (5) में उल्लिखित तारीख़ से प्रभावी होगा।

2. मानकों और आवश्यक अपेक्षाओं के साथ अनुरुपता- इस आदेश की तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विद्युतीय उपकरण कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट तारीख़ों से प्रभावी होकर उक्त तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट संगत भारतीय मानकों के अनुरुप होगा।

3. अनिवार्य प्रमाणन, चिह्नांकन और लेबलिंग- (1) इस आदेश की तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विद्युतीय उपकरण भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम,2018 की अनुसूची-।। में स्कीम-।। के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस के अंतर्गत मानक चिह्न वहन करेगा।

(2) यदि किसी मामले में, इस आदेश की तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट विद्युतीय उपकरण के विनिर्माता ने भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरुपता निर्धारण) विनियम,2018 की अनुसूची-।। में स्कीम-। के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस के अंतर्गत मानक चिह्न के अनुप्रयोग की अनुमति प्राप्त की हो तो उसे भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरुपता निर्धारण)

विनियम,2018 की अनुसूची-II में स्कीम-II के अनुसार पृथक् लाइसेंस के अंतर्गत ब्यूरो से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगीः

बशर्ते, इस आदेश की कोई भी बात निर्यात के प्रयोजन वाली उक्त तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं और सामग्री के संबंध में लागू नहीं होगी, जो विदेशी क्रेता द्वारा अपेक्षित किसी विनिर्देश के अनुरुप हो।

4. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण- इस आदेश में विनिर्दिष्ट विद्युतीय उपकरण के मामले में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा और इसके अतिरिक्त, यथावश्यक रुप से, इस आदेश के प्रवर्तन में भारत सरकार अथवा ज़िला उद्योग केंद्र का निम्न से निम्न अवर सचिव रैंक का अधिकारी ब्यूरो की सहायता करेगा।

5. उल्लंघन के लिए दंड - कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के उपबंधों के तहत दंडनीय होगा।

6. भारतीय मानकों में संशोधन/पुनरीक्षण के लागू होने की तारीख - जहां भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नाम, कार्यक्षेत्र, ग्रेड, परीक्षण आवश्यकताओं या किसी अन्य मानदंडों के संबंध में कोई संशोधन या पुनरीक्षण इस आदेश के लिए तालिका में निर्दिष्ट किसी भी भारतीय मानक के संबंध में किया जाता है, इस तरह का संशोधन या पुनरीक्षण इस आदेश के उपबंधों पर भारी उद्योग विभाग के साथ ब्यूरो के परामर्श द्वारा अलग से अधिसूचित किए जाने की तारीख़ से लागू होगा, मानो इस आदेश के अंतर्गत ऐसा संशोधन अथवा पुनरीक्षण उसी तारीख़ से ही प्रभावी हुआ हो।

तालिका

क्र.सं.	विद्युतीय उपकरण (वस्तु और सामग्री)	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	कार्यान्वियन की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	निम्न वोल्टेज वाले स्विचगियर और नियंत्रण गियर: सर्किट-ब्रेकर	आईएस /आईईसी 60947: भाग 2 : 2016	निम्न वोल्टेज वाले स्विचगियर और नियंत्रण गियर: भाग 2 सर्किट-ब्रेकर (पहला पुनरीक्षण)	भारत के सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष
2.	निम्न वोल्टेज वाले स्विचगियर और नियंत्रण गियर: स्विचेज , डिस्कनेक्टर्स, स्विच डिस्कनेक्टर्स और फ्यूज – कॉम्बिनेशन यूनिट्स	आईएस /आईईसी 60947: भाग 3 : 2012	निम्न वोल्टेज वाले स्विचगियर और नियंत्रण गियर: भाग 3 स्विचेज़, डिस्कनेक्टर्स, स्विच डिस्कनेक्टर्स और फ्यूज–कॉम्बिनेशन यूनिट्स	भारत के सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष
3.	निम्न वोल्टेज वाले स्विचगियर और नियंत्रण गियर: इलेक्ट्रो-मैकेनिकलकान्टैक्टर्स और मोटर – स्टार्टर्स	आईएस /आईईसी 60947: भाग 4 : अनुभाग 1:2012	निम्न वोल्टेज वाले स्विचगियर और नियंत्रण गियर: भाग 4 कान्टैक्टर्सऔर मोटर – स्टार्टर्स: अनुभाग 1 इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कान्टैक्टर्स और मोटर–स्टार्टर्स (प्रथम पुनरीक्षण)	भारत के सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष
4.	निम्न वोल्टेज वाले स्विचगियर और नियंत्रण गियर: ए.सी सेमीकंडक्टर मोटर नियंत्रक और स्टार्टर्स	आईएस /आईईसी 60947: भाग 4 : अनुभाग 2:2011	निम्न वोल्टेज वाले स्विचगियर और नियंत्रण गियर: भाग 4 कान्टैक्टर्स और मोटर–स्टार्टर्स: अनुभाग 2 ए.सी सेमीकंडक्टर मोटर नियंत्रक और स्टार्टर्स (प्रथम पुनरीक्षण)	भारत के सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष
5.	निम्न वोल्टेज वाले स्विचगियर और नियंत्रण गियर: नॉन-मोटर लोड्स के लिए ए.सी सेमी-कंडक्टर मोटर नियंत्रक औरकान्टैक्टर्स	आईएस /आईईसी 60947: भाग 4 : अनुभाग 3:2014	निम्न वोल्टेज वाले स्विचगियर और नियंत्रण गियर: भाग 4 कान्टैक्टर्स और मोटर – स्टार्टर्स: अनुभाग 3 नॉन-मोटर लोड्स के लिए ए.सी सेमीकंडक्टर मोटर नियंत्रक और कान्टैक्टर्स (द्वितीय पुनरीक्षण)	भारत के सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष।

6.	निम्न - वोल्टेज स्विचगियर और नियंत्रण गियर: इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कंट्रोल सर्किट डिवाइस	आईएस /आईईसी 60947: भाग 5 : अनुभाग 1:2009	निम्न–वोल्टेज वाले स्विचगियर और नियंत्रण गियर: भाग 5 नियंत्रण सर्किट डिवाइस और स्विचिंग एलिमेंट्स: अनुभाग 1 इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कंट्रोल सर्किट डिवाइस (प्रथम पुनरीक्षण)	भारत के सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष।
7.	निम्न-वोल्टेज स्विचगियर और नियंत्रण गियर प्रॉक्सिमिटी स्वीचेज़	आईएस /आईईसी 60947 : भाग 5 : अनुभाग 2:2007	निम्न–वोल्टेज वाले स्विचगियर और नियंत्रण गियर: भाग 5 नियंत्रण सर्किट डिवाइस और स्विचिंग एलिमेंट्स: अनुभाग 2 प्रॉक्सिमिटी स्विचेज़	भारत के सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष।
8.	निम्न - वोल्टेज स्विचगियर और नियंत्रण गियर: मैकेनिकल लैचिंग फ़ंक्शन के साथ विद्युत आपातकालीन स्टॉप डिवाइस	आईएस /आईईसी 60947: भाग 5 : अनुभाग 5:2016	निम्न–वोल्टेज वाले स्विचगियर और नियंत्रण गियर: भाग 5 नियंत्रण सर्किट डिवाइस और स्विचिंग एलिमेंट्स: अनुभाग 5 मैकेनिकल लैचिंग फ़ंक्शन के साथ विद्युत आपातकालीन स्टॉप डिवाइस	भारत के सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष।

[फा. सं. 8(1)/2018-एचईआई-भाग (1)]

अमित मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Heavy Industry)

ORDER

New Delhi, the 11th November, 2020

S.O. 4044(E).—In exercise of the powers conferred by section 16, read with section 17 and section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) This order may be called the Electrical Equipment (Quality Control) Order, 2020.

(2) It shall come into force from the date as mentioned in column (5) of the Table to this order.

2. Conformity to standards and essential requirements.– Every Electrical Equipment specified in column (2) of the Table to this order shall conform to the corresponding Indian standards specified in column (3) of the said Table with effect from the dates specified in column (5) thereof.

3. Compulsory certification, marking and labelling.– (1) Every Electrical Equipment specified in column (2) of the Table to this order shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme–II in Schedule–II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

(2) In a case where the manufacturer of Electrical Equipment specified in column (2) of the Table to this order has obtained permission to apply the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme–I in Schedule–II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, he shall not be required to obtain permission from the Bureau under a separate licence as per Scheme–II in Schedule–II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply in relation to goods and articles as specified in the column (2) of the said Table meant for export, which conform to any specification required by the foreign buyer.

4. Certification and enforcement authority. - The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the Electrical Equipment specified in this order, and in addition, whenever required, an officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India or District Industries Centre shall assist the Bureau in enforcement of this order.

5. Penalty for contravention. - Any person who contravenes any of the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).

6. Date of effect of amendment or revision in Indian Standards. – Where any amendment or revision is made by the Bureau of Indian Standards in the title, scope, grade, testing requirements or any other parameters with respect to any Indian Standard specified in the Table to this order, such amendment or revision shall apply to the provisions of this order with effect from the date to be separately notified by the Bureau in consultation with the Department of Heavy Industry, as if such amendment or revision is made under this order with effect from such date.

TABLE

Sl. No.	**Electrical Equipment (Goods and Article)**	**Indian Standards**	**Title of Indian Standard**	**Date of Implementation**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	Low - Voltage switchgear and controlgear: Circuit - Breakers	IS/IEC 60947 : Part 2 : 2016	Low - Voltage switchgear and controlgear: Part 2 circuit - Breakers (First Revision)	One year from the date of publication of this order in the Official Gazette of India.
2.	Low - Voltage switchgear and controlgear: switches, disconnectors, switch disconnectors and fuse - Combination units	IS/IEC 60947 : Part 3 : 2012	Low - Voltage switchgear and controlgear: Part 3 switches, disconnectors, switch disconnectors and fuse - Combination units	One year from the date of publication of this order in the Official Gazette of India.
3.	Low - Voltage switchgear and controlgear: electromechanical contactors and motor - Starters	IS/IEC 60947 : Part 4 : Sec 1 : 2012	Low - Voltage switchgear and controlgear: Part 4 contactors and motor - Starters: Sec 1 electromechanical contactors and motor - Starters (First Revision)	One year from the date of publication of this order in the Official Gazette of India.
4.	Low - Voltage switchgear and controlgear: a.c semiconductor motor controllers and starters	IS/IEC 60947 : Part 4 : Sec 2 : 2011	Low - Voltage switchgear and controlgear: Part 4 contactors and motor - Starters: Sec 2 a.c semiconductor motor controllers and starters (First Revision)	One year from the date of publication of this order in the Official Gazette of India.
5.	Low - Voltage switchgear and controlgear: a.c. semiconductor motor controllers and contactors for non - Motor loads	IS/IEC 60947 : Part 4 : Sec 3 : 2014	Low - Voltage switchgear and controlgear: Part 4 contactors and motor - Starters: Sec 3 a.c. semiconductor motor controllers and contactors for non - Motor loads (Second Revision)	One year from the date of publication of this order in the Official Gazette of India.
6.	Low - Voltage switchgear and controlgear: electromechanical control circuit devices	IS/IEC 60947 : Part 5 : Sec 1 : 2009	Low - Voltage switchgear and controlgear: Part 5 control circuit devices and switching elements: Sec 1 electromechanical control circuit devices (First Revision)	One year from the date of publication of this order in the Official Gazette of India.
7.	Low - Voltage switchgear and controlgear proximity switches	IS/IEC 60947 : Part 5 : Sec 2 : 2007	Low - Voltage switchgear and controlgear: Part 5 control circuit devices and switching elements: Sec 2 proximity switches	One year from the date of publication of this order in the Official Gazette of India.

8.	Low - Voltage switchgear and controlgear: electrical emergency stop devices with mechanical latching function	IS/IEC 60947 : Part 5 : Sec 5 : 2016	Low - Voltage switchgear and controlgear: Part 5 control circuit devices and switching elements: Sec 5 electrical emergency stop devices with mechanical latching function	One year from the date of publication of this order in the Official Gazette of India.

[F. No. 8(1)/2018-HEI-Part(1)]

AMIT MEHTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA